



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3068]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/पौष 6, 1938

No. 3068]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4185(अ).—वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तथा इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (जिसे इसके पश्चात् सीईआरएसएआई कहा गया है) की संपत्ति पर प्रतिभूति हित के सृजन से संबंधित उपबंधों का, में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संपत्ति के अधिकारों के संबंध में विल्लंगमों का केंद्रीय डाटाबेस स्थापित करने के लिए प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) के द्वारा संशोधन किया गया है:

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 20क में उपबंध किए गए अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के साथ इस रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का समेकन;
- (ii) इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (यघ) के अंतर्गत परिभाषित प्रतिभूत लेनदार से भिन्न अन्य सभी प्रतिभूत लेनदारों को रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विस्तारित कराना;
- (iii) किसी कर वसूली अधिकारी अथवा अन्य कराधान प्राधिकारी द्वारा किसी निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की करने के लिए जारी आदेशों का रजिस्ट्रीकरण; और
- (iv) किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से किसी शोध्य की वसूली के प्रयोजन के लिए जारी आदेशों के अनुसरण में किसी संपत्ति के कुर्की आदेशों का रजिस्ट्रीकरण।

और जबकि अधिनियम की धारा 20ख केंद्रीय सरकार को सीईआरएसएआई के स्थापन, प्रचालनों तथा विनियमन से संबंधित अपनी शक्तियों तथा कृत्यों को रिजर्व बैंक को प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्रदान करती है और केंद्रीय सरकार ने इन शक्तियों को रिजर्व बैंक को प्रत्यायोजित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 20 के खण्ड (ग) से खण्ड (छ) के अंतर्गत विहित नियमों के साथ पठित अध्याय 4 के उपबंधों के अंतर्गत अपनी शक्तियों तथा कृत्यों के निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्याधीन रिजर्व बैंक को प्रत्यायोजित करती है:

- (क) रिजर्व बैंक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का प्रचालन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय करने और अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु प्रणाली में उपांतरण अथवा परिवर्तन करने के लिए सीईआरएसएआई को निदेश दे सकेगा;
- (ख) रिजर्व बैंक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों, जिन्हें अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अंतर्गत आवश्यक माना जाए, में विशेषज्ञता रखने वाले अपने अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण की फीस में उपांतरण का कोई प्रस्ताव अधिसूचना जारी करने हेतु केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (घ) रिजर्व बैंक सीईआरएसएआई के कार्यकरण और अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (ङ.) रिजर्व बैंक के पास सीईआरएसएआई और सीईआरएसएआई द्वारा प्रदत्त सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसे निदेश और दिशानिर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि रजिस्ट्रीकरण प्रणाली अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रचालित की जा रही है, आवश्यक समझा जाए।

[फा. सं. 3/5/2016-डीआरटी]

आनंदराव विष्णु पाटील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2016

S.O. 4185(E).—Whereas the provisions contained in the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) relating to registration of transaction of securitisation and reconstruction of financial assets and creation of security interests over property with the Central Registry Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (hereafter referred to as CERSAI) established under the Act, have been amended by the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Law and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016) for establishing a Central database of encumbrances on property rights for the following purposes:-

- (i) integration of the registration system under the Act with other registration systems as provided in Section 20A of the Act;
- (ii) extending the registration system to all secured creditors other than secured creditors defined under clause (zd) of sub-section (1) of section 2 of the Act;

- (iii) registration of orders issued by any Tax Recovery Officer or other taxation authority for attachment of properties belonging to any assessee; and
- (iv) registration of attachment orders of any property pursuant to orders of any court or other authority for the purpose of recovery of any dues from a person;

And whereas, section 20B of the Act empowers the Central Government to delegate its powers and functions relating to establishment, operations and regulation of the CERSAI to the Reserve Bank and the Central Government has decided to delegate such powers to the Reserve Bank;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20B of the Act, the Central Government hereby delegates its powers and functions under the provisions of Chapter IV read with the rules prescribed under clauses (c) to (g) of section 20 of the said Act to the Reserve Bank subject to following terms and conditions—

- (a) Reserve Bank may direct the CERSAI to take such steps as deemed necessary to operate the registrations system and to introduce modification or change the system for the purpose of implementing the provisions of the Act;
- (b) Reserve Bank may appoint its officers having expertise in the fields of computer technology and such other fields as deemed necessary under sub-section (2) of section 21 of the Act ;
- (c) any proposal for modification of fees for registration shall be referred to the Central Government for issue of notification;
- (d) Reserve Bank shall submit half yearly reports on the working of the CERSAI and the progress made in the implementation of provisions of the Act; and
- (e) Reserve Bank shall have powers to issue such directions and guidelines to CERSAI and all persons availing the service provided by the CERSAI as deemed necessary to ensure that registration system is operated in accordance with the provisions of the Act and the rules framed thereunder.

[F. No. 3/5/2016-DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

Nishok

Kumar Paria

Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.28 17:59:42
+05'30'